न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 161 / 2021 **निर्णय दिनांक :– 10.01.2023**

उनवानी दावाः

गौरा पत्नी रामनारायण जाति गुर्जर निवासी गेराटा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

बनाम

1. कला पत्नी शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी गेरोटा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार दूनी / नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

उपस्थिति :–

श्री बद्रीप्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता वादी

आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

दावा बंटवारा आराजीयात, स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय / आदेश पेश हुई। निर्णय / आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 15.07.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार नगरफोर्ट से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2073–76 वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा पटवार हल्का रामसागर भू. अभि. नि. क्षैत्र धुंवाकला तहसील नगरफोर्ट के हाल खाता संख्या 2 में दर्ज ख.

नं. 84/907 रकबा 2.50 है0 बारानी द्वितिय दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तद्नुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार नगरफोर्ट की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:–

ग्राम महाराज़कंवरपुरा पटवार हल्का रामसागर भू. अभि. नि. क्षैत्र धुंवाकला में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:–

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	कला पत्नी शंकरलाल जाति गुर्जर सा. गेरोटा ख़ातेंदार राहिन सीबीआई शाखा देवली नक्शा ट्रेस में काले बॉल पेन के रंग से दर्शित	84/907	1.25	5.00
	योग	किता–1	1.25	5.00
2	गोरा पत्नी रामनारायण जाति गुर्जर सा. गेरोटा खातेदार राहिन सीबीआई शाखा देवली नक्शा ट्रेस में रिक्त (सफेंद) रंग से दर्शित	84/907	1.25	5.00
	योग	किता–1	1.25	5.00

सलग्न :– तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावाः

गौरा पत्नी रामनारायण जाति गुर्जर निवासी गेराटा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

बनाम

1. कला पत्नी शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी गेरोटा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार दूनी/नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

दावा बंटवारा आराजीयात, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 161 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय अधिवक्ता वादीया मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2073–76 वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा पटवार हल्का रामसागर भू. अभि. नि. क्षैत्र धुंवाकला तहसील नगरफोर्ट के हाल खाता संख्या 2 में दर्ज ख. नं. 84/907 रकबा 2.50 है0 बारानी द्वितिय दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार नगरफोर्ट की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार हैः–

ग्राम महाराजकंवरपुरा पटवार हल्का रामसागर भू. अभि. नि. क्षैत्र धुंवाकला में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगाः–

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	कला पत्नी शंकरलाल जाति गुर्जर सा. गेरोटा खातेदार राहिन सीबीआई शाखा देवली नक्शा ट्रेस में काले बॉल पेन के रंग से दर्शित	84/907	1.25	5.00

10/1/23

	योग	किता–1	1.25	5.00
2	गोरा पत्नी रामनारायण जाति गुर्जर सा. गेरोटा खातेदार राहिन सीबीआई शाखा देवली नक्शा ट्रेस में रिक्त (सफेद) रंग से दर्शित	84 / 907	1.25	5.00
	योग	किता–1	1.25	5.00

संलग्न :– तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....

..............................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरहं .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 10 मांह 01 सन् 2023 को ज़ारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।